भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2734

दिनांक 11.12.2024 को उत्तर देने के लिए

खनन द्वारा अवक्रमित भूमि का पुनरुद्धार

†2734. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खनन द्वारा अवक्रमित भूमि का पुनरुद्धार करने की चुनौती का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) खनन के कुछ दीर्घकालिक प्रभावों में से वन क्षेत्र में कमी, सिकुड़ते जल निकायों और जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता के मुद्दे का समाधान करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 के तहत, प्रत्येक पट्टाधारक को प्रगामी खान बंदी योजना (पीएमसीपी) और अंतिम खान बंदी योजना (एफएमसीपी) तैयार करना आवश्यक है। पट्टाधारकों को खान बंदी योजना के अनुसार किए गए सुरक्षात्मक और पुनर्वास कार्यों की सीमा के बारे में सूचना देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि पीएमसीपी या एफएमसीपी में यथा परिकल्पित पुनर्ग्रहण और पुनर्वास (आरएंडआर) उपायों को कार्यान्वित नहीं किया जाता है, तो पट्टाधारक द्वारा दी गयी वित्तीय प्रतिभूति राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है।

इसके अतिरिक्त, खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 12(1)(ड) के अनुसार, पट्टेदार को खनन कार्यों से प्रभावित भू-आकृति को यथासंभव बहाल करने का आदेश दिया गया है।

(ग): मौजूदा कानून के अनुसार, खनन पट्टे के निष्पादन से पहले, पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी सहित केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से अपेक्षित वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है।

पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने के भाग के रूप में, भावी पट्टेदार पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) करते हैं और आधारभूत पर्यावरण पर परियोजना कार्यकलाप के संभावित प्रभाव को ध्यान में रख कर वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) प्रस्तुत करते हैं। खनन पट्टाधारकों को पर्यावरण मंजूरी देने के दौरान यथा अनुमोदित पर्यावरण शमन उपायों को कार्यान्वित करना भी आवश्यक है। वन मंजूरी के भाग के रूप में, भावी पट्टेदार को खनन के लिए वन भूमि के पथांतरण के बदले में प्रतिपूरक वनीकरण करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, खनन परियोजनाओं को भारत में भूजल निष्कर्षण को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय ने खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 के अध्याय-V के अंतर्गत प्रावधान करके सतत खनन परिपाटियों को कार्यान्वित किया है। वायु प्रदूषण से बचाव, विषैले तरल पदार्थ के रिसाव की रोकथाम, ध्वनि प्रदूषण से बचाव, सतह धंसने पर नियंत्रण आदि के लिए नियमों में प्रावधान शामिल किए गए हैं।

एमसीडीआर, 2017 के नियम 35 में खनिकों द्वारा अपनाई गई सतत खनन परिपाटियों के आधार पर खनन पट्टों की स्टार रेटिंग का प्रावधान है। एमसीडीआर, 2017 के नियम 35(4) के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टाधारक को खनन कार्य शुरू करने की तिथि से चार वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम तीन-स्टार रेटिंग प्राप्त करना और उसके बाद उसे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बनाए रखना अनिवार्य है।

*****